भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2508
सोमवार, 18 दिसंबर, 2023 / 27 अग्रहायण, 1945 (शक)

गिग कामगारों को सामाजिक सुरक्षा

2508. श्री रमेश बिधूड़ी:
श्री सुब्रत पाठक:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक दशक के दौरान गिग कामगारों को क्या सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए गए हैं; और
(ख) गिग कामगार समूह में शामिल कामगारों की श्रेणियां कौन-कौन सी हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में केंद्र सरकार द्वारा गिग कामगारों एवं प्लेटफार्म कामगारों के लिए जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर समुचित सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करने की परिकल्पना की गई है। संहिता की धारा 2(35) के अनुसार, 'गिग कामगार' का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो कार्य करता है अथवा किसी कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और इस प्रकार के पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर के कायकलापों से उपार्जन करता है।

संहिता में गिग कामगारों से संबंधित उपबंध अभी लागू नहीं हुए हैं।

******